(106)

न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर श्रृंखला

न्यायालय रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

निगरानी 868-III-15

Rs 20/-

1. रामखेलावन तिवारी तनय शंभूराम तिवारी उम्र–75 वर्ष, पेशा–खेती
2. श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री रामखेलावन तिवारी उम्र–71 वर्ष, पेशा–गृह कार्य दोनो निवासी ग्राम मिश्रगवां एवं कोठार तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म0प्र0) ——————निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामकृष्ण तनय हरिहर राम उम्र–55 वर्ष, पेशा–खेती
2. दामोदर प्रसाद तनय रामकृष्ण राम उम्र–39 वर्ष, पेशा–खेती निवासी ग्राम खैरहई तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म0प्र0)
3. मध्य प्रदेश शासन ——————गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) गोपद बनास जिला सीधी (म0प्र0) द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 67/अ–74/2001–2002 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2015 को अपास्त किये जाने हेतु।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :–

अ– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि गैर निगरानी कर्ता कमांक 1 व 2 द्वारा मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 107(5) के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र बन्दोबस्त अधिकारी सीधी

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R868-III/2015 जिला सीधी

रामखेलावन तिवारी विरूद्ध रामकृष्ण वगैरह

1	2	3
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री निखिल तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील गोपदबनास के प्रकरण क्रमांक 67/अ-74/2001-2002 में पारित आदेश दिनांक 31-03-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 7-03-2019 को कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	